



हायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

194/2017

शीर्षक पपु

बनाम कापलाल

कार्यवाही प्रकरण

हस्ताक्षर/
सूचना नं.

19.05.2017 को पत्रपत्ती सेवा दिये आदि
 और पक्षी द्वारा पत्रपत्ती काड खरीडा
 किया जाका अखत गिजिये आदि
 प्रक से लिखवाया जाका शाह माठ
 किया गया। पत्रपत्ती गैजल शुगा
 दिस गम्बल से की दी।

हस्ताक्षर
 विभाजन
 कलक्टर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम - बृजेश गुप्ता (R.A.S)

राजस्व वाद संख्या :- 194/2017 राजस्व वाद ऑनलाईन नम्बर 2017/00511

दायर तिथि :- 31.10.2017

निर्णय तिथि :- 19.05.25



उनवान

1. पप्पु उर्फ प्रभुलाल पिता नारु कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
2. ललीता पिता नारु कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।

.....वादीगण

बनाम

1. रामलाल पिता गोकल कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
2. अर्जुनलाल पिता गोकल कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
3. रमेशचन्द्र पिता गोकल कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
4. देउबाई पिता गोकल कुम्हार निवासी कोटडी तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द।
5. सोहनी बाई पिता गोकल कुम्हार निवासी भुडान तह. व जिला राजसमन्द।
6. वरदी पत्नि गोकल कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
7. हरिराम पिता गोकल कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन, स्वतंत्र अंकन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

वादी की ओर से अधिवक्ता - श्री एस के मेहता, डी के मेहता

प्रतिवादी अधिवक्ता - अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय

: आदेश :

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, अवलोकन किया गया संक्षिप्त में इस प्रकार है -
प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.01.2018 को पारित की गई, जिसकी पालना में तहसीलदार राजसमन्द ने अपने पत्र क्रमांक भूअ./2024/1494 दिनांक 26.06.2024 के द्वारा विभाजन योजना मय फहरिस्त एवं नक्सा ट्रेस प्रेषित की गई। अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार फरमाई जाकर अन्तिम डिक्री जारी किए जाने की ईस्तदुआ की गई। पत्रावली व प्राप्त विभाजन योजना का निरीक्षण किया गया। प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ, अतः तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत की गई विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मोही पटवार मण्डल मोही तहसील राजसमन्द में स्थित खाता संख्या 1102 सम्वत् 2077 में दर्ज आराजी संख्या 1313, 1314, 1945, 1954, 1957, 2260, 2261 कुल किता 7 कुल रकबा 1.9262 लगान 48.33 का विभाजन, विभाजन योजना के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	अर्जुनलाल पुत्र गोकल हिस्सा 1/6	1314/1	0.3281	खादी II	5.47
	देउबाई पुत्री गोकल हिस्सा 1/6	1945/1	0.0600	चाही	1.76
	मोहनीबाई पुत्री गोकल हिस्सा 1/6			0.0439	
	रमेशचन्द्र पुत्र गोकल हिस्सा 1/6			जाव I	0.32
	रामलाल पुत्र गोकल हिस्सा 1/6			0.0161	
	वरदीबाई पत्नि गोकल हिस्सा 1/6	1954/1	0.0108	बीड I	0.04
	जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	1957/2	0.1542	चाही I	6.19
		2261/1	0.0420	चाही I	1.69
	योग	किता 5	0.5951	-	15.47

सहायक कलक्टर

2	प्रभुलाल पुत्र नारु कुम्हार सा. देह खातेदार	1314/3	0.3281	खादी	5.47	
		1945/3	0.0600	चाही	2.41	
		1954/3	0.0108	बीड	0.04	
		1954/5	0.1547	चाही	6.21	
		2260/1	0.0097	चाही	0.39	
		2061/2	0.0297	चाही	1.19	
योग		किता 6	0.5930	-	15.71	
3	हरीराम पुत्र प्रताप कुम्हार सा. देह खातेदार	1314/2	0.3280	खादी	5.47	
		1945/2	0.0601	चाही	2.41	
		1954/2	0.0108	बीड	0.04	
		1954/6	0.1198	चाही	4.19	
				0.1043	बीड	0.06
				0.0155	चाही	0.96
	1957/1	0.0320	चाही	0.96		
			0.0239	बीड	0.03	
			0.0081	चाही	1.90	
योग		किता 6	0.5981	-	15.06	
4	अर्जुन पुत्र गोकल हिस्सा 1/18 देउबाई पुत्री गोकल हिस्सा 1/18 मोहनीबाई पुत्री गोकल हिस्सा 1/18 रमेशचन्द्र पुत्र गोकल हिस्सा 1/18 रामलाल पुत्र गोकल हिस्सा 1/18 वरदीबाई पत्नि गोकल हिस्सा 1/18 प्रभुलाल पुत्र नारु हिस्सा 1/3 हरिराम पुत्र प्रताप हिस्सा 1/3 कुम्हार सा. देह खातेदार					
		1313	0.0647	बारानी	0.15	
		1314/4	0.0356	खादी	0.60	
		1945/4	0.0141	चाही	0.57	
		1954/4	0.0088	बीड	0.03	
		2260/3	0.0076	चाही	0.31	
		2261/3	0.0092	चाही	0.37	
		योग		किता 6	0.1400	-

उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड मे पक्षकारान के हिस्से पृथक-पृथक अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार राजसमन्द को विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस की एक प्रति इस आशय से भेजी जावे कि उक्त प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन एवं अपील विचाराधीन नहीं होने की स्थिति में राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। उक्त निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।



उक्त निर्णय आज दिनांक 19-5-25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

म
बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
स्वच्छता अधिकारी,
राजसमन्द

म
सहायक कलक्टर एवं
स्वच्छता अधिकारी,
(उपस्थानकारी)
राजसमन्द

संख्याक नं. 1

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम - बृजेश गुप्ता (R.A.S)

राजस्व वाद संख्या :- 194/2017 राजस्व वाद ऑनलाईन नम्बर - 2017/00511

दायर तिथि :- 31.10.2017

निर्णय तिथि :- 19.5.25



उनवान

1. पप्पु उर्फ प्रभुलाल पिता नारु कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
2. ललीता पिता नारु कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।

.....वादीगण

बनाम

1. रामलाल पिता गोकल कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
2. अर्जुनलाल पिता गोकल कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
3. रमेशचन्द्र पिता गोकल कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
4. देउबाई पिता गोकल कुम्हार निवासी कोटडी तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द।
5. सोहनी बाई पिता गोकल कुम्हार निवासी भुडान तह. व जिला राजसमन्द।
6. वरदी पत्नि गोकल कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
7. हरिराम पिता गोकल कुम्हार निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
8. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार राजसमन्द।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन, स्वतंत्र अंकन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

वादी की ओर से अधिवक्ता - श्री एस के मेहता, डी के मेहता

प्रतिवादी अधिवक्ता - अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय

मे इस आशय में दिनांक 19.5.25 को न्यायालय के समक्ष पीडी दिनांक 23.01.2018 की पालना में विभाजन योजना अन्तिम निपटारे के लिये तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मोही पटवार मण्डल मोही तहसील राजसमन्द में स्थित खाता संख्या 1102 सम्वत् 2077 में दर्ज आराजी संख्या 1313, 1314, 1945, 1954, 1957, 2260, 2261 कुल किता 7 कुल रकबा 1.9262 लगान 48.33 का विभाजन, विभाजन योजना अनुसार निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	अर्जुनलाल पुत्र गोकल हिस्सा 1/6	1314/1	0.3281	खादी II	5.47
	देउबाई पुत्री गोकल हिस्सा 1/6	1945/1	0.0600	चाही	1.76
	मोहनीबाई पुत्री गोकल हिस्सा 1/6		0.0439		
	रमेशचन्द्र पुत्र गोकल हिस्सा 1/6			जाव I	0.32
	रामलाल पुत्र गोकल हिस्सा 1/6		0.0161		
	वरदीबाई पत्नि गोकल हिस्सा 1/6	1954/1	0.0108	बीड I	0.04
	जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	1957/2	0.1542	चाही I	6.19
		2261/1	0.0420	चाही I	1.69
	योग	किता 5	0.5951	-	15.47
2	प्रभुलाल पुत्र नारु कुम्हार सा. देह खातेदार	1314/3	0.3281	खादी II	5.47
		1945/3	0.0600	चाही I	2.41
		1954/3	0.0108	बीड I	0.04
		1954/5	0.1547	चाही I	6.21
		2260/1	0.0097	चाही I	0.39

सहायक कलक्टर

		2061 / 2	0.0297	चाही ।	1.19	
	योग	किता 6	0.5930	—	15.71	
3	हरीराम पुत्र प्रताप कुम्हार सा. देह खातेदार	1314 / 2	0.3280	खादी ।।	5.47	
		1945 / 2	0.0601	चाही ।	2.41	
		1954 / 2	0.0108	बीड ।	0.04	
		1954 / 6	0.1198	चाही ।	4.19	
				0.1043		
				बीड ।	0.06	
				0.0155		
		1957 / 1	0.0320	चाही ।	0.96	
				0.0239		
				बीड ।	0.03	
		0.0081				
		2260 / 2	0.0474	चाही ।	1.90	
	योग	किता 6	0.5981	—	15.06	
4	अर्जुन पुत्र गोकल हिस्सा 1/18 देउबाई पुत्री गोकल हिस्सा 1/18 मोहनीबाई पुत्री गोकल हिस्सा 1/18 रमेशचन्द्र पुत्र गोकल हिस्सा 1/18 रामलाल पुत्र गोकल हिस्सा 1/18 वरदीबाई पत्नि गोकल हिस्सा 1/18 प्रभुलाल पुत्र नारु हिस्सा 1/3 हरिराम पुत्र प्रताप हिस्सा 1/3 कुम्हार सा. देह खातेदार	1313	0.0647	बारानी ।।।	0.15	
		1314 / 4	0.0356	खादी ।।	0.60	
		1945 / 4	0.0141	चाही ।	0.57	
		1954 / 4	0.0088	बीड ।	0.03	
		2260 / 3	0.0076	चाही ।	0.31	
		2261 / 3	0.0092	चाही ।	0.37	
	योग	किता 6	0.1400	—	2.09	

उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड मे पक्षकारान के हिस्से पृथक-पृथक अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार राजसमन्द को विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस की एक प्रति इस आशय से भेजी जावे कि उक्त प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन एवं अपील विचाराधीन नहीं होने की स्थिति में अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।



उक्त अंतिम डिक्री पर्वी आज दिनांक 19.5.20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी),
राजसमन्द

सहायक कलेक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी),
राजसमन्द